रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06102025-266651
SG-DL-E-06102025-266651

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/आश्विन 4, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 255
No. 292] DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947 [N. C. T. D. No. 255

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह–एफएसएल विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 सितम्बर, 2025

फा0 सं0 2(160)/एफएसएल/स्था0/भर्ती नियम/जेएसए (फिंगर प्रिंट)/2024/514.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 03 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं0 फा0 31/69/2007/गृह–III विभाग/1–10 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फिंगर प्रिंट) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–** (i) इन नियमों को कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फिंगर प्रिंट) फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :–**उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :–**उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :–** वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :–** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचावः–** इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फिंगर प्रिंट)
2.	**पदों की संख्या**	:	02* (2025) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5 (रुपये 29200–92300/–)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**	:	18–25' वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु सीमा 18–27 वर्ष के बीच होगी। **टीप :–** आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्य :** किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0एससी0 स्तर पर कम से कम दो वर्षों /चार सेमेस्टरों में भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान का एक विषय के रूप में अध्ययन करने सहित भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या फॉरेंसिक विज्ञान में मास्टर डिग्री। **टीप** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	केवल सीधी भर्ती वालों के लिए 02 वर्ष **टीप :** सीधी भर्ती वालों को परिवीक्षा की पूर्णता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित होगा।
10.	**भर्ती की पद्धति,**	:	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा **टीप :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी के कारण या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या उससे अधिक लम्बी अवधि के लिये कार्य से अलग रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है :– (क) (प) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (पप) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 (रुपये 25500–81100/–) में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में 5 वर्षों की सेवा सहित या समकक्ष; **तथा** (ख) कॉलम (7) के अन्तर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं रखने वाले।

			टीप : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति** 1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (गृह) – **अध्यक्ष** 2. प्रधान सचिव/सचिव (सेवाएं)– **सदस्य** 3. एफएसएल के संबंधित वर्टिकल के प्रधान निदेशक/ निदेशक – **सदस्य** 4. उप–सचिव (सा0प्रशा0वि0)– **सदस्य** **टीप** :– यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव कुंडू,उप–सचिव (गृह)

HOME-FSL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th September, 2025

No. F.2(160)/FSL/ESTT/RR/JSA(FINGER PRINT)/2024/514.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification no. F-27/59-him (i) dated the 13th July,1959, and in supersession of this Govt's Notification no. F31/69/2007/Home-III Deptt.1-10 dated 03rd January 2008 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post Junior Scientific Assistant (Finger Print) in Forensic Science Laboratory, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement–

(i) These rules may be called the Junior Scientific Assistant (Finger Print) Forensic Science Laboratory Recruitment Rules, 2025.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix – The number of the said post, its classification and pay level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc:-The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification:-No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:-Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**Number of posts**	**Classification**	**Pay Level in the Pay Matrix**	**Whether Selection or Non Selection post**	**Age limit for direct recruits**	**Educational and other Qualification required for direct recruits**
1	2	3	4	5	6	7
Junior Scientific Assistant (Finger Print)	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix	Not Applicable	Between 18 years and 25 years* (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) *In case of post being filled up by all India Open Competition, it would be between 18 years and 27 Years. **Note**: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the DSSSB / Competent Authority.	**Essential:-** Master's degree in Physics or Chemistry or Forensic Science with Physics or Chemistry as one of the subject studied for at least two years / four semesters at B. Sc. Level, from a Govt. recognized University/Institute. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the DSSSB / Competent Authority for reasons to be recorded in writings, in case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of Probation, if any**	**Method of Recruitment,**	**In case of recruitment by Promotion / Deputation / transfer grade from which promotion / deputation /transfer to be made**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment**
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	2 years for Direct Recruits only. **Note:** Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks	**100% by Direct recruitment** **Note** : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be	Not Applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee:** 1. ACS/ Principal Secretary / Secretary (Home) – Chairperson 2. Principal Secretary/Secretary (Services)- Member 3. Principal	Not Applicable

	duration as prescribed by the competent authority for completion of probation.	filled on deputation basis from Officers of Central Government :- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 (Rs. 25500 – 81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). Note : The maximum age for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		Director /Director of the concerned vertical of FSL – Member 4. Deputy Secretary (GAD) – Member **Note:** Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.	

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
SANJEEV KUNDU, Dy. Secy. (HOME)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.06 09:46:37 +05'30'